[2019] 15 एस. सी. आर 223

नेवाडा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड

इसके निर्देशक के माध्यम से

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर.

(2019 की आपराधिक अपील No.1481)

सितंबर 24,2019

[रंजन गोगोई, सीजेआई, दीपक गुप्ता और

संजीव खन्ना, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

एस. 102 पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति जब्त करने की शक्ति

किसी भी अपराध के होने के संदेह में, किसी अचल संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने और सील करने की शक्ति शामिल नहीं होगी-किसी विशेष धारा में शब्द 'संपत्ति' केवल उस प्रकार की संपत्ति को शामिल करता है। जिसके संबंध में उस धारा में अनुध्यात अपराध किया जा सकता है-यह मूल सिद्धांत तब लागू किया जाना है जब 'कोई संपत्ति' शब्द का उपयोग 's' में किया जाता है। 102 व्याख्या की जाती है-एस में दिखाई देने वाले किसी भी गुण को व्यक्त करें। 102 अचल संपत्ति शामिल नहीं होगी-धारा 102 संपत्ति की जब्ती को अभिनिर्धारित करती है-अचल संपत्ति

अपने सख्त अर्थों में, स्वामित्व आदि के दस्तावेजों को जब्त नहीं किया जा सकता है।

अचल संपत्ति से संबंधित संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है और पेश किया जा सकता है-अचल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और

बंद/सीलबंद-इस अर्थ और तरीके से अचल संपत्ति की जब्ती के लिए कानून में व्यक्ति को बेदखल करने की आवश्यकता होगी।

अचल संपत्ति का कब्जा/कब्जा, जब तक कि कोई दावेदार न हो, जो दुर्लभ होगा-धारा 102 की भाषा इस व्याख्या का समर्थन नहीं करते हैं कि पुलिस अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को कब्जे से हटाने और उस पर कब्जा करने की शक्ति है।

अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए-जहाँ तक अधिकार की बात है

अचल संपत्ति का संबंध है, धारा 145 और 146 के रूप में विशिष्ट प्रावधानों को तदनुसार लागू किया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कानून के साथ-इस प्रकार, धारा 102 एक सामान्य प्रावधान नहीं है जो पुलिस अधिकारी को अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए सक्षम और अधिकृत करता है। मुकदमे के दौरान आपराधिक अदालत में पेश किए जाने में सक्षम होना-हालाँकि, यह पुलिस अधिकारी को अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों/स्वामित्व के कागजात को जब्त करने से नहीं रोकेगा या प्रतिबंधित नहीं करेगा, क्योंकि यह अचल संपत्ति की जब्ती से अलग और अलग है-- विवाद

और संपत्ति के भौतिक और कानूनी कब्जे और स्वामित्व से संबंधित मामलों पर दीवानी अदालत द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

एसएस। 451 , 452 और 456-संपत्ति के निपटान से संबंधित प्रावधान, यदि एस के दायरे को परिभाषित करते हैं। 102 – आयोजित किया गया: एसएस। 451 , 452 और 456 करो

एस की आकृति और दायरे को सीधे परिभाषित नहीं करते हैं। 102 धारा 102

प्राथमिक या मूल प्रावधान नहीं है जो

एस के प्रावधान। 451 , 452 या 456 लागू होता है।

निर्णय/आदेश:

निर्णय का अनुपात निर्णय-व्युत्क्रम परीक्षण का अनुप्रयोग-आयोजित: व्युत्क्रम परीक्षण उन परीक्षणों में से एक है जो किसी निर्णय के अनुपात को निर्धारित करने के लिए लागू किया जाता है-व्युत्क्रम परीक्षण में कहा गया है कि न्यायालय को पहले कानून के कथित प्रस्ताव को सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए और फिर सम्मिलित करना चाहिए।

प्रस्ताव में एक शब्द जो अपने अर्थ को उलटता है ताकि यह उत्तर मिल सके कि कोई निर्णय उस प्रस्ताव के लिए एक मिसाल है या नहीं-यदि

इसका उत्तर सकारात्मक है, मामला उस प्रस्ताव के लिए एक मिसाल नहीं है-यदि जवाब नकारात्मक है, तो मामला एक मिसाल है।

मूल प्रस्ताव के लिए और संभवत: अन्य प्रस्तावों के लिए भी-व्युत्क्रम परीक्षण को लागू करके, यह कहा जा सकता है कि तपस डी. नियोगी के मामले में निर्णय इस मुद्दे पर नहीं गया और यह तय नहीं किया गया कि क्या अचल संपत्ति 'किसी भी संपत्ति' यू/एस अभिव्यक्ति के तहत आएगी। 102 दंड प्रक्रिया संहिता, 1973-एस। 102 .

अनुपात निर्णय-अर्थ-आयोजित: एक निर्णय केवल एक प्राधिकरण है कि वह वास्तव में क्या तय करता है-एक निर्णय में सार है

इसका अनुपात-इसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही उन टिप्पणियों से जो तार्किक रूप से प्रवाहित होता है, वह अनुपात निर्णय नहीं है-निर्णय को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और टिप्पणियों पर विचार किया जाना चाहिए।

उन उदाहरणों के आलोक में जो अदालत के समक्ष थे-यह निर्णय द्वारा निर्धारित सही सिद्धांतों का पता लगाने का तरीका है-अनुपात निर्णय लेने का निर्णय शब्दों या वाक्यों को चुनकर नहीं किया जा सकता है।

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य

निर्णय से प्रश्नगत संदर्भ के विपरीत-इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि तपस डी. नियोगी के मामले ने यह तय नहीं किया कि क्या

अचल संपत्ति संहिता-दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 102 में 'कोई भी संपत्ति' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगी।

102 .

आपराधिक विधि संशोधन अध्यादेश, 1944: घोषणा

का-आयोजित: इसकी अनुसूची में निर्दिष्ट अपराधों के माध्यम से अर्जित संपत्ति के निपटान या छिपाने को रोकने के लिए था, जो

इसमें यू/एस. एस. के तहत दंडनीय अपराध शामिल हैं। 406 , 408 , 409 , 411 और 414 आई. पी. सी

सरकारी संपत्ति, स्थानीय प्राधिकरण या केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम, आदि द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम की संपत्ति के संबंध में और केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम, आदि के तहत दंडनीय अपराध। भ्रष्टाचार अधिनियम, 1988-यह अध्यादेश एक स्थायी अध्यादेश है-इसे राष्ट्रपति के कानून अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अपनाया गया था, जिससे यह भारत के क्षेत्र में प्रभावी हो गया और इस प्रकार, यह जारी है।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: संजीव खन्ना जे. के अनुसार (अपने लिए, रंजन गोगोई, सीजेआई और दीपक गुप्ता, जे.):

1. धारा 102 के तहत एक पुलिस अधिकारी की शक्ति

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए, जो

संपत्ति की जब्ती का संकेत देता है। अचल संपत्ति नहीं हो सकती, इसके सख्त अर्थों में, जब्त किया जाए, हालांकि अचल संपत्ति से संबंधित स्वामित्व आदि के दस्तावेजों को जब्त किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है और

उत्पादित किया। अचल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और बंद/सील भी किया जा सकता है। यह तर्क दिया जा सकता है कि 'जब्त' शब्द में कुर्की और मुहर लगाने की ऐसी कार्रवाई शामिल होगी। इस अर्थ में और तरीके से अचल संपत्ति की जब्ती के लिए कानून में [2019] 15 एस. सी. आर. की आवश्यकता होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अचल संपत्ति के कब्जे/कब्जे में व्यक्ति का बेदखल, जब तक कि कोई दावेदार न हो, जो दुर्लभ है। संहिता की धारा 102 की भाषा इस व्याख्या का समर्थन नहीं करती है कि पुलिस अधिकारी के पास करने की शक्ति है

व्यवसाय में किसी व्यक्ति को बेदखल करना और उस पर कब्जा करना

अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए। इस व्यक्त या निहित शक्ति को प्रदान करने वाले विधानमंडल की अनुपस्थिति में

पुलिस अधिकारी के लिए संहिता की धारा 102, यह नहीं होगा कि इस शक्ति का अनुमान लगाया जाना चाहिए और यह जब्ती करने की शक्ति में निहित है। व्याख्या के उद्देश्य के लिए संहिता की धारा 102 का दायरा और उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जो

जाँच में सहायता और सहायता करना और पुलिस अधिकारी को आरोप साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करने और इकट्ठा करने में सक्षम बनाना। शिकायत की और आरोप पत्र में स्थापित किया गया। अनुभाग एक है

पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जाँच से संबंधित प्रावधानों का हिस्सा। आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद, अभियोजन पक्ष आगे बढ़ता है और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सबूत पेश करता है। धारा 102, अपने आप में, एक सक्षम प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा पुलिस अधिकारी

और असली मालिक। यह धारा 102 के पीछे के उद्देश्य, धारा में शब्दों के उपयोग और दंड न्यायालय को धारा 451 से धारा 451 तक प्रदत्त शक्ति के दायरे और दायरे से स्पष्ट है। 459 कोड से। धारा 102 में 'परिस्थितियाँ जो किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करती हैं' अभिव्यक्ति किसी पुलिस द्वारा दृढ़ राय या निर्णय/निष्कर्ष का उल्लेख नहीं करती है।

'उचित विश्वास' या 'संतुष्टि' की तुलना में अभिव्यक्ति। पुलिस ने अधिकारी एक अन्वेषक होता है न कि एक न्यायनिर्णायक या निर्णय।

निर्माता। यही कारण है कि धन और अचल संपत्तियों की कुर्की से निपटने के लिए अध्यादेश लागू किया गया था। अनुसूचित अपराध। यदि पुलिस अधिकारी को केवल 'किसी अपराध के होने के संदेह' पर अचल संपत्ति को 'जब्त' करने की अनुमति दी जाती है, तो इसका अर्थ होगा और इसका अर्थ होगा कि पुलिस अधिकारी को केवल अनुमान और अनुमान पर, यानी संदेह पर, जिसका अब तक उपयोग नहीं किया गया है, बेदखल करने आदि के लिए एक कठोर और चरम शक्ति देना। ऐसा शायद ही कोई मामला हो जहाँ अचल संपत्ति कभी पी. वी. टी. की संपत्ति न हो।

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य

एक कुर्की आदेश के माध्यम से जब्त किया गया था जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 102 के तहत जब्ती आदेश के रूप में माना गया था। इसका कारण स्पष्ट है। स्वामित्व, अधिकार आदि से संबंधित विवाद।

अचल संपत्ति दीवानी विवाद हैं जिनका फैसला दीवानी अदालतों में किया जाता है। सिविल को बदलने का कोई भी प्रयास दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए आपराधिक मामलों में विवादों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और रोका जाना चाहिए। इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित करना उचित नहीं होगा कि संहिता की धारा 102 एक पुलिस अधिकारी को अधिकार देती है -

अचल संपत्ति, भूमि, भूखंड, आवासीय घर, सड़कें या इसी तरह की संपत्तियों को जब्त करें। आपराधिक मुकदमे की प्रकृति को देखते हुए, पुलिस अधिकारी द्वारा कुर्की और बेदखल के रूप में अचल संपत्ति की इस तरह की जब्ती से सुविधा नहीं होगी।

जांच और मुकदमे के दौरान प्रस्तुत किए जाने वाले साक्षय/सामग्री एकत्र करने के लिए जांच। जहां तक अचल संपत्ति के कब्जे का संबंध है, धारा 145 के रूप में विशिष्ट प्रावधान और

146 कानून के अनुसार और उसके अनुसार लागू किया जा सकता है। अनुभाग

भौतिक और कानूनी कब्जे से संबंधित विवाद और मामले और संपत्ति के स्वामित्व पर दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए। [पैरा 18,20] [250-ए, एच; 251-ए-एच; 252-ए-ई]

2.2 यह कहा जा सकता है कि किसी विशेष में 'संपत्ति' शब्द

विचारण के दौरान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाने वाला साक्षय। [पैरा 12] [242 ई-एफ] 3.1 धारा 451 आपराधिक न्यायालय को मुकदमे या जांच लंबित रहने तक 'किसी भी संपत्ति' की उचित अभिरक्षा का आदेश पारित करने का अधिकार देती है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

न्यायालय कुछ परिस्थितियों में निपटान का निर्देश भी दे सकता है। धारा 451 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उक्त उद्देश्य के लिए

धारा, 'सम्पत्ति' में किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज शामिल है जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या जो उसकी अभिरक्षा में है या कोई ऐसी संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध प्रतीत होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया था। धारा 451 विचारण या जांच के दौरान या लंबित रहने के दौरान लागू होती है (अभिव्यक्ति 'जांच' को अधिनियम की धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया है। कोड)। यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 451 के प्रयोजन के लिए 'संपत्ति' अभिव्यक्ति में अचल संपत्ति शामिल है। वास्तव में, न्यायिक निर्णयों की प्रधानता इस दृष्टिकोण को लेती है, हालांकि

इस न्यायालय का कोई प्रत्यक्ष निर्णय नहीं है। धारा 452 के संबंध में भी यही स्थिति है, जिसमें उप-धारा (5) में कहा गया है कि -

'सम्पत्ति' शब्द में ऐसी सम्पत्ति शामिल है जिसके संबंध में - ऐसा प्रतीत होता है कि अपराध किया गया है, न केवल ऐसी संपत्ति जो मूल रूप से किसी पक्ष के कब्जे या नियंत्रण में थी, बल्कि कोई भी संपत्ति जिसमें उसे परिवर्तित किया गया हो।

या आदान-प्रदान किया गया, और इस तरह के रूपांतरण द्वारा अर्जित कुछ भी या विनिमय, चाहे तुरंत हो या अन्यथा। धारा 452 में कहा गया है

कि जब किसी आपराधिक न्यायालय में जांच या मुकदमा समाप्त होता है, तो

न्यायालय दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट करके, ज़ब्त करके या वितरित करके, निपटान के लिए जैसा उचित समझे, आदेश दे सकता है। स्वयं को इसके कब्जे या अन्यथा का हकदार होने के लिए,

अधिकार का अधिकार, और इसलिए जहां स्वामित्व के गंभीर दावे किए जाते हैं, यह सबसे अच्छा होगा यदि आपराधिक अदालतें पक्षों को दीवानी अदालत के समक्ष अपना दावा स्थापित करने का निर्देश देती हैं। हालाँकि, आपराधिक न्यायालय उचित आदेश पारित कर सकता है।

अंतरिम प्रकृति का, जो उचित हो। इस प्रकार, धारा 451 और 452 व्यापक और व्यापक हैं जो विशिष्ट और स्पष्ट शक्तियां प्रदान करती हैं।

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य

आपराधिक न्यायालय पर, और भाषा इंगित करती है कि वे अचल संपत्ति पर समान रूप से लागू हो सकते हैं। ये अनुभाग करते हैं

पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती से संबंधित संहिता की धारा 102 का संदर्भ न दें। यह धारा 456 के बारे में भी समान रूप से सच है जो विशेष रूप से आपराधिक न्यायालय को अधिकार देता है -

संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। यह आदेश ऐसी अचल संपत्ति के अधिकार या हित पर पूर्वाग्रह के बिना किया जा सकता है जिसे कोई भी व्यक्ति दीवानी मुकदमे में स्थापित करने में सक्षम हो सकता है। धारा 457 तब लागू होती है जब किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है और ऐसी संपत्ति को जांच या मुकदमे के दौरान आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है। संहिता की धारा 457 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं' महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, यह प्रावधान संहिता की धारा 102 के तहत जब्त की गई संपत्ति पर लागू होता है, लेकिन इस अवधि के दौरान पेश नहीं किया जाता है।

मुकदमा या जाँच। आम बोलचाल में, 'उत्पादित' शब्द है वास्तविक या भौतिक उत्पादन को दर्शाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक अभिव्यक्ति जो चल संपत्ति पर लागू होगी। अचल संपत्ति को अदालत में 'पेश' नहीं किया जा सकता है। [पैरा 16] [247-ई-एच; 248-ए-एच; 249-ए-बी]

3.2 अध्याय XXXIV के तहत प्रावधान-'का निपटान

इसी तरह, धारा 452 उस संपत्ति को संदर्भित करती है जिसके बारे में एक अपराध किया गया प्रतीत होता है जैसा कि मूल रूप से किसी भी पक्ष के कब्जे या नियंत्रण में था और ऐसी संपत्ति भी। जिसमें या जिसके लिए इसे परिवर्तित या आदान-प्रदान किया गया हो सकता है। धारा 452 अपने आप में संहिता की धारा 102 का कोई संदर्भ नहीं देती है। यह धारा 456 के लिए भी सच है।

वह संहिता जो अचल [2019] 15 एस. सी. आर. के कब्जे की बहाली से संबंधित है।

कुछ परिस्थितियों में संपत्ति। इसलिए ये प्रावधान धारा 102 की रूपरेखा और दायरे को सीधे परिभाषित नहीं करते हैं।

कोड। दूसरी ओर, यह दिखाएगा कि धारा 102 प्राथमिक या मुख्य प्रावधान नहीं है जो संहिता की धारा 451,452 या 456 के प्रावधानों को लागू करेगा।

इन धाराओं को लागू करने के लिए मानदंड वे हैं जो विशिष्ट प्रावधानों में उल्लिखित हैं। धारा 451 और 452

न्यायालय द्वारा अभिरक्षा और निपटान का आदेश। धारा 456 अचल संपत्ति से संबंधित अपराधों की श्रेणी या प्रकार पर लागू होती है, भले ही अचल संपत्ति की अभिरक्षा में हो। न्यायालय या संलग्न किया गया है। संहिता की धारा 457 को छोड़कर, इन धाराओं के तहत आपराधिक न्यायालय की शक्ति संहिता की धारा 102 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की गई संपत्ति तक ही सीमित नहीं है। धारा 457 उन संपत्तियों पर लागू होती है जिन्हें पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता के तहत जब्त कर लिया गया है, लेकिन जांच या मुकदमे के दौरान पेश नहीं किया गया है। [पैरा 17] [249-बी-एच]

4. तपस डी. नियोगी के मामले में निर्णय इस मुद्दे पर नहीं गया और यह तय नहीं किया कि क्या अचल संपत्ति इसके अंतर्गत आएगी।

यदि उत्तर नकारात्मक है, तो मामला मूल प्रस्ताव के लिए और संभवतः अन्य प्रस्तावों के लिए भी एक उदाहरण है। यह उन परीक्षणों में से एक है जो यह तय करने के लिए लागू किया जाता है कि क्या माना जा सकता है और किसी निर्णय के अनुपात निर्णय के रूप में माना जाता है। यह माना गया है कि एक निर्णय केवल एक प्राधिकरण है जो वास्तव में निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार होता है वह उसका अनुपात होता है। उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही उन टिप्पणियों से जो तार्किक रूप से प्रवाहित होता है, वह अनुपात निर्णय नहीं होता है। विचाराधीन निर्णय को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और टिप्पणियों पर विचार किया जाना चाहिए

ऐसे मामले जो न्यायालय के समक्ष थे। नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. का पता लगाने का यह तरीका है।

लिमिटेड। थ्रू इट्स डायरेक्ट वी। महाराष्ट्र राज्य

इसके विपरीत शब्दों या वाक्यों को चुनकर निर्णय लिया जाए निर्णय से प्रश्न के तहत संदर्भ। इसलिए यह है कि तपस डी. नियोगी के मामले में इस मुद्दे का फैसला नहीं किया गया कि अचल संपत्ति इसके दायरे में आएगी या नहीं।

धारा 102 में 'कोई संपत्ति' की अभिव्यक्ति। [पैरा 11] [241-ई-एच; ए-सी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। तपस डी. नियोगी (1999) 7 एससीसी

685 - अप्रयोज्य रखा गया।

किशोर शंकर सिग्नापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य

और अन्य 1997 Vol.IV L J 793; M/s। बॉम्बे विज्ञान और अनुसंधान शिक्षा संस्थान v. राज्य का

महाराष्ट्र और अन्य 2008 ऑल एम. आर. (सीआरएल.) 2133;

सुश्री स्वर्ण सभरवाल बनाम पुलिस आयुक्त 1988

क्रिएलजे 241 (डेल) (डीबी); जगदीश चंदर और अन्य बनाम।

राज्य और अन्य 40 (199) डीएलटी 233; पी. के. परमार और अन्य वी। भारत संघ और एक और 1992 CRILJ 2499

(डेल); भारत ओवरसीज बैंक बनाम। मीनू प्रकाशन 1988

एमएलडब्ल्यू (सीआरआई) 106; गुजरात राज्य और अन्य बनाम। उपयोगिता

उपयोगकर्ता कल्याण संघ और अन्य (2018) 6 एससीसी

21 : [2018] 9 एससीआर 106; यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम पूरन चंद्र पांडे और अन्य (2007) 11 एससीसी

92 [2007] 10 एस. सी. आर. 920; आयकर आयुक्त

वी. सन इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड (1992) 4 एस. सी. सी. 363:

[1992] 1 पूरक। एससीआर 732; आर. के. डालमिया आदि बनाम दिल्ली

प्रशासन ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1821: [1963] एससीआर 253; एन. माधवन बनाम केरल राज्य (1979) 4 एससीसी 1: [1980]

1 एससीआर 228; तीस्ता अतुल सीतलवाड़ बनाम। गुजरात राज्य

(2018) 2 एससीसी 372: [2017] 12 एससीआर 774; विनोद कुमार और अन्य वी। बिहार राज्य और एक अन्य (2014) 10

एससीसी 663 [2014] 11 एससीआर 85-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

पै

रा 3

उल्लेख किया गया है

1997 Vol.IV L J 793

पै

रा 3

2008 सभी एम. आर. (सीआरएल.) 2133

[2019

] 15 एस. सी. आर. को संदर्भित।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

1988 सी. आर. आई. एल. जे. 241 (डी. एल.) (डी. बी.)

पै

रा 8

40 (199) डीएलटी 233

उल्लेख किया गया है

पै

रा 8

1992 क्रिएलजे 2499 (डेल)

उल्लेख किया गया है

पै

रा 8

1988 एमएलडब्ल्यू (सीआरआई) 106

उल्लेख किया गया है

पै

रा 9

अप्रयोज्य रखा गया

(1999) 7 एस. सी. सी. 685

पै

रा 11

[2018] 9 एससीआर 106

उल्लेख किया गया है

पै

रा 11

[2007] 10 एससीआर 920

उल्लेख किया गया है

पै

रा 11

[1992] 1 पूरक। एससीआर 732

उल्लेख किया गया है

पै

रा 11

[1963] एससीआर 253

पै

रा 12

उल्लेख किया गया है

[1980] 1 एससीआर 228

उल्लेख किया गया है

पै

रा 16

[2017] 12 एससीआर 774

उल्लेख किया गया है

पै

रा 19

[2014] 11 एससीआर 85

उल्लेख किया गया है

पै

रा 20

पर दीपाक गुप्ता, जे। (पूरक):

1.1 दंड संहिता की धारा 102 की उप-धारा (1)

प्रक्रिया, 1973 एक पुलिस अधिकारी को किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है, जिस पर चोरी होने का आरोप या संदेह हो सकता है या जो

ऐसी परिस्थितियों में पाया जा सकता है जो किसी भी अपराध के होने का संदेह पैदा करती हैं। [पैरा 3] [254-बी]

1.2 यह वैधानिक व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है।

कि किसी कानून के शब्दों का अर्थ लगाते समय, उन्हें उस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे धारा में फिट हों और उस उद्देश्य के संदर्भ में जो कानून के उस विशेष प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। [पैरा 4] [254-डी-ई]

1.3 धारा 102 की उप-धारा (1) एक पुलिस अधिकारी को अधिकार देती है।

ऐसी किसी भी संपत्ति को जब्त करना जिसके चोरी होने का आरोप या संदेह हो। चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है और अचल संपत्ति का नहीं। 'जब्त' शब्द का उपयोग संपत्ति की वास्तविक भौतिक अभिरक्षा लेने के अर्थ में किया गया है।

सब नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य

संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित आवास प्राप्त करने में कठिनाई, फिर संपत्ति किसी भी व्यक्ति को दी जा सकती है एक बंधन निष्पादित करना। यह स्वयं इंगित करता है कि संपत्ति अदालत में पेश करने में सक्षम होनी चाहिए और किसी आवास के अंदर रखने में भी सक्षम होनी चाहिए। यह स्पष्ट रूप से अचल संपत्ति के साथ नहीं किया जा सकता है। [पैरा 5] [254-एफ-जी]

1.4 धारा 102 एक सदी से भी अधिक समय से कानून की पुस्तक में है। धारा 102 संहिता की धारा 550 से मेल खाती है।

दंड प्रक्रिया, 1898। एक शताब्दी से अधिक समय से अदालतों ने 'किसी भी संपत्ति' शब्द का अर्थ चल संपत्ति के रूप में पढ़ा है।

[पैरा 6] [254-एच; 255-ए]

1.5 दंड प्रक्रिया संहिता में ही विधानमंडल

विभिन्न प्रावधानों में विशेष रूप से 'चल' और 'अचल' संपत्ति शब्दों का उपयोग किया गया है। आई. डी. 1. की धारा 83, जो घोषित भगोड़े की संपत्ति की जब्ती से संबंधित है। द. विधायिका अपने विवेक में "किसी भी संपत्ति, चल या अचल या दोनों की कुर्की का आदेश" शब्दों का उपयोग करती है। इस में है

न्यायालय ऐसी संपत्ति की कुर्की या ज़ब्त करने का आदेश दे सकता है। यह न्यायालय संपत्ति की कुर्की और ज़ब्त के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, लेकिन केवल 'संपत्ति' शब्द का अर्थ। इस प्रकार, धारा 105 सी अदालत को किसी भी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देने का अधिकार देती है जो उसे लगता है कि

आयोग द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त किया गया एक अपराध। [पैरा 7,8,9] [255-सी-एफ; 256-बी, डी-ई] [2019] 15 एस. सी. आर.

1.6 कुर्की और ज़ब्त करने की शक्ति अदालतों को दी गई है न कि पुलिस अधिकारी को। यदि एक पुलिस अधिकारी को शक्ति दी जाती है

अचल संपत्ति को जब्त करने से पूरी तरह से अराजक स्थिति पैदा हो सकती है। धारा 102 में जब्ती की शक्ति चल संपत्ति तक सीमित होनी चाहिए। इस प्रकार, खंड में वाक्यांश 'कोई भी संपत्ति' 102 इसमें केवल चल संपत्ति शामिल होगी न कि अचल संपत्ति। [पैरा 10,12] [256-एफ-जी; 257-बी, सी]

महाराष्ट्र राज्य बनाम। तपस डी. नियोगी (1999) 7 एससीसी

685 [1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 609-लागू नहीं होता है।

मामला कानून संदर्भ

[1999] 2 पूरक। एस. सी. आर. 609 लागू नहीं होता। पैरा 6

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील

2019 का No.1481। सी. आर. एल. में बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक न्यायालय के दिनांकित 29.11.2010 निर्णय से। 2010 की लेखन याचिका No.2137।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 1122 2011 का, 2019 का 1482-1485,2019 का 1486 और 2019 का 1487।

भरत संगल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री बबीता कुशवाहा, सुश्री मंजुला गुप्ता, सुश्री फौजिया शकील, एम. शोएब आलम, उज्जवल सिंह, गौतम

शिवाजी एम. जाधव, मनोज के. मिश्रा, उमेश दुबे, सुश्री ज्योति मिश्रा, सुकुमार, भीम प्रताप सिंह, पी. के. मनोहर, उग्र शंकर प्रसाद, अमन वचेर, धीरज, आशुतोष दुबे, अभिषेक चौहान, श्रीमती मधुरिमा मृदुल, श्रीमती अंशु वचेर, अरुण नागर, श्रीमती राजश्री दुबे, एम. के. दुआ, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, सुश्री आस्था मेहता, निशांत राव, राजेश कुमार, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री संगीता

कुमार, सुश्री सोनिया माथुर, सचिन शर्मा, सुश्री रचना शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, मुकेश कुमार मारोरिया, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य

न्यायालय के निर्णय दिए गए थे

संजीव खन्ना, जे।

1. विशेष अवकाश याचिकाओं में दी गई छुट्टी।

2. इस न्यायालय की एक खंड पीठ (जगदीश सिंह खेहर और

अरुण मिश्रा, जे.) 18 नवंबर, 2014 के आदेश के अनुसार, यह देखते हुए कि उत्पन्न होने वाले मुद्दों के दूरगामी और गंभीर परिणाम हैं, उपरोक्त अपीलों को कम से कम तीन की पीठ द्वारा सुनवाई के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायाधीश। माननीय प्रमुख से उचित निर्देश प्राप्त करने के बाद

न्यायमूर्ति, इन अपीलों को वर्तमान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

3. सुविधा के लिए, हमने अपराधी का इलाज किया है

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 1513 से उत्पन्न अपील

2011 , नेवादा प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर। लिमिटेड, प्रमुख मामले के रूप में। यह अपील

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के दिनांकित निर्णय से उत्पन्न होता है

29 नवंबर, 2010 को बहुमत के फैसले में कहा गया है कि धारा 102 की उप-धारा (1) में प्रयुक्त 'कोई संपत्ति'

आपराधिक मामले की जाँच किसी भी अचल संपत्ति को हिरासत में नहीं ले सकती है और जब्त नहीं कर सकती है जो ऐसी परिस्थितियों में पाई जा सकती है जो किसी भी अपराध के होने का संदेह पैदा करना। इसके अनुसार

बहुमत निर्णय, उसी की खंड पीठ का पूर्व निर्णय

किशोर शंकर सिगनपुरकर बनाम में उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1 सही अनुपात और व्यक्त किए गए विपरीत दृष्टिकोण को निर्धारित करता है।

एम/एस में। बॉम्बे विज्ञान और अनुसंधान शिक्षा संस्थान v. द. महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2 सही कानून निर्धारित नहीं करते हैं।

अल्पमत का मानना है कि पुलिस अधिकारी के पास संहिता की धारा 102 के तहत किसी भी संपत्ति को जब्त करने की शक्ति है, चाहे वह चल हो या अचल।

और मेसर्स में डिवीजन बेंच का निर्णय। बॉम्बे विज्ञान और

अनुसंधान शिक्षा संस्थान (ऊपर) ने सही कानून निर्धारित किया है और किशोर शंकर सिग्नापुरकर (ऊपर) में अनुपात अच्छा कानून नहीं है।

1 1997 Vol.IV LJ 793 2 2008 ऑल एम. आर. (क्रोल.) 2133 [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4. वर्तमान विवाद का निर्णय करने के लिए जो मुख्य रूप से है

हम संहिता की धारा 102 को पुनः प्रस्तुत करके शुरू करेंगे, जो

निम्नानुसारः

" S.102 पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति को जब्त करने की शक्ति। (1) कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिस पर चोरी होने का आरोप या संदेह हो सकता है, या जो इसके तहत पाई जा सकती है।

ऐसी परिस्थितियाँ जो किसी के आयोग का संदेह पैदा करती हैं

(2) ऐसा पुलिस अधिकारी, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी कार्यालय के अधीनस्थ है, तो तुरंत उस अधिकारी को जब्ती की सूचना देगा। (3) उप-धारा (1) के तहत कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी तुरंत अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को जब्ती की रिपोर्ट करेगा और जहां

जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि यह आसानी से नहीं हो सकती है।

न्यायालय में ले जाया जाता है, या जहां ऐसी संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित आवास प्राप्त करने में कठिनाई होती है, या जहां पुलिस अभिरक्षा में संपत्ति का निरंतर प्रतिधारण जांच के उद्देश्य से आवश्यक नहीं माना जा सकता है, वह

बंधपत्र निष्पादित करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिरक्षा दें।

न्यायालय के समक्ष संपत्ति को कब और कब प्रस्तुत करने का वचन उसी के निपटारे के संबंध में न्यायालय के आगे के आदेशों की आवश्यकता है और उन्हें प्रभावी बनाना है।

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत जब्त की गई संपत्ति शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपये से कम है, तो इसे अधीक्षक के आदेश के तहत नीलामी द्वारा तुरंत बेचा जा सकता है।

पुलिस और धारा 457 और 458 के प्रावधान, जितनी व्यावहारिक हो सके, ऐसी बिक्री के शुद्ध आय पर लागू होंगे।

उक्त अध्याय का ए प्रस्तुत करने के लिए समन से संबंधित है; भाग बी से संबंधित है।तलाशी-वारंट; भाग सी उससे संबंधित सामान्य प्रावधानों से संबंधित है; और भाग डी, जिसकी धारा 102 पहली धारा है, NEVADA PROPERTIES PVT के अंतर्गत आता है।

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित आवास या जहां पुलिस अभिरक्षा में संपत्ति का निरंतर प्रतिधारण जांच के उद्देश्य से आवश्यक नहीं माना जाता है। प्रोविसो का कहना है कि यदि जब्त की गई संपत्ति खराब होने वाली प्रकृति की है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपये से कम है और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है, तो पुलिस को बेचने का अधिकार है।

पुलिस अधीक्षक के आदेश के तहत नीलामी द्वारा ऐसी संपत्ति। 6. अल्पमत निर्णय और अपीलार्थी का विवाद काफी हद तक उप-धारा (1) में 'कोई संपत्ति' शब्दों पर आधारित है।

धारा 102। महाराष्ट्र राज्य बनाम में इस न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया था। तपस डी. नियोगी 3. प्रोलिक्सिटी से बचने के लिए, हम दोनों पक्षों द्वारा उठाए गए तर्कों का उल्लेख नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे तर्क के दौरान उनका उल्लेख और जांच की जाएगी। जिसमे

सबसे पहले, हमें तपस डी. नियोगी में निर्णय का उल्लेख करके शुरुआत करनी चाहिए। (उपर्युक्त), भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 120-बी, 467,468,471 और 420 (इसके बाद 'आई. पी. सी.' के रूप में संदर्भित) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 13 (2) के तहत तीन प्रथम सूचना रिपोर्टों से उत्पन्न होने वाला मामला। सवाल यह था कि क्या

जाँच अधिकारी के पास बैंक खाते को जब्त करने या बैंक खाते के संचालन को रोकने के लिए निषेधात्मक आदेश जारी करने की शक्ति है। संदर्भ उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों को दिया गया था, जिनमें से कुछ पर बाद में चर्चा की जाएगी, जो इस प्रकार हैं:

3 (1999) 7 एससीसी 685 [2019] 15 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 12. धारा के तहत जब्ती की शक्ति के संबंध में विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा लिए गए अलग-अलग विचारों पर विचार करना।

102 दंड प्रक्रिया संहिता और क्या बैंक खाते को उक्त धारा 102 (1) के अर्थ के भीतर "संपत्ति" के रूप में रखा जा सकता है, हम कोई संकीर्णता देने का कोई औचित्य नहीं देखते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की व्याख्या।

यह सर्वविदित है कि सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है

यह व्यापक है कि इसका सामना करना मुश्किल हो गया है।

फिर अदालतों द्वारा मुकदमों को समाप्त करने में लगने वाला समय एक अन्य कारक है जिसे व्याख्या करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 102 के प्रावधान और उसमें अंतर्निहित उद्देश्य, जैसे कि हो सकता है यदि अभियुक्त के बैंक खाते को जब्त करने का कोई आदेश नहीं दिया जाता है, तो बैंक में जमा किया गया पूरा पैसा, जिसे अंततः अवैध संतुष्टि का परिणाम माना जाता है, अभियुक्त द्वारा वापस लिया जा सकता है और अदालतें उक्त धन प्राप्त करने में असमर्थ होंगी, जिसका आयोग के साथ कोई सीधा संबंध है।

गुवाहाटी और इलाहाबाद उच्च न्यायालय सही कानून का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत, धारा 13 की उप-धारा (2) के तहत जुर्माना लगाने के मामले में, विधानसभाओं ने प्रावधान किया है कि अदालतें जुर्माने की राशि निर्धारित करने में उस संपत्ति की राशि या मूल्य को ध्यान में रखा जाएगा जिसे अभियुक्त व्यक्ति ने अपराध करके प्राप्त किया है या जहां दोषसिद्धि किसी अपराध के लिए है।

धारा 13 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट,

आर्थिक संसाधन या संपत्ति जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति संतोषजनक रूप से लेखा देने में असमर्थ है। आपराधिक की धारा 102 के तहत जब्ती की शक्ति के संबंध में हमारे द्वारा दी गई व्याख्या प्रक्रिया संहिता एन. ई. वी. ए. डी. ए. प्रोपरटीज पी. वी. टी. के इरादे के अनुसार है।

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

ऊपर निर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 16 में निहित विधायिका। उपरोक्त परिसर में, हमारे पास नहीं है

इस निष्कर्ष पर पहुँचने में संकोच कि बंबई उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करने में त्रुटि की कि पुलिस अधिकारी बैंक खाते को जब्त नहीं कर सकता था या कोई निर्देश जारी नहीं कर सकता था बैंक अधिकारी, अभियुक्त के खाते को संचालित करने से रोकता है। हालाँकि हमने कानून निर्धारित किया है, लेकिन जहाँ तक

वर्तमान मामले का संबंध है, आदेश पहले ही दिया जा चुका है

प्रभाव दिया गया है और आरोपी अपना खाता चला रहा है, और इसलिए, हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं।

7. माल की बिक्री की धारा 2 के खंड (7) के अनुसार धन

अधिनियम, 1930, न तो माल है और न ही चल संपत्ति, हालांकि आई. पी. सी. की धारा 22 'चल संपत्ति' शब्द को परिभाषित करती है, जिसमें भूमि और पृथ्वी से जुड़ी चीजों को छोड़कर या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज़ से जुड़ी हर विवरण की भौतिक संपत्ति शामिल है। द.

संहिता में 'चल संपत्ति' अभिव्यक्ति को विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। संहिता की धारा 2 (वाई) के संदर्भ में, आई. पी. सी. में परिभाषित शब्द और अर्थ संहिता पर समान रूप से लागू होंगे। अतः धन संहिता के प्रयोजनों के लिए संपत्ति होगी। पैसा अचल संपत्ति नहीं है।

8. तपस डी. नियोगी (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय इस संबंध में था।

बैंक खातों की और इसने जांच नहीं की और प्रश्न का उत्तर नहीं दिया

क्या 'कोई संपत्ति' अभिव्यक्ति में अचल संपत्ति शामिल होगी। हालाँकि, इस प्रश्न पर तपस डी. नियोगी (ऊपर) के पैराग्राफ 6 में ध्यान दिया गया था, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के एक फैसले का संदर्भ दिया गया था। सुश्री स्वर्ण सभरवाल बनाम। पुलिस आयुक्त 4 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 102 की आवश्यकता है कि जब्त की गई संपत्ति को स्वयं

यह संदेह पैदा करता है कि कुछ अपराध किया गया है। दूसरे शब्दों में, अपराध की खोज उस संपत्ति की खोज की अगली कड़ी होनी चाहिए न कि इसके विपरीत। इस संबंध में जगदीश चंदर और अन्य बनाम का भी उल्लेख किया जा सकता है। राज्य और अन्य, जिसमें याचिकाकर्ता ने पुलिस की जब्ती कार्रवाई को इस आधार पर चुनौती दी थी कि संहिता की धारा 102 में दिखाई देने वाले 'जब्ती' शब्द का अर्थ वास्तविक रूप से कब्जा करना होगा और इसलिए, इसमें शामिल नहीं होगा 4 1988 क्रिएलजे 241 (डेल) (डीबी) 5 40 (199) डीएलटी 233 [2019] 15 एस. सी. आर.

अचल संपत्ति। इस तर्क का जवाब नहीं दिया गया और खुला छोड़ दिया गया क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि संहिता की धारा 102 के तहत जब्ती का आदेश वैधानिक आवश्यकता के अनुसार नहीं था क्योंकि परिस्थितियों के तहत संपत्ति की खोज की जानी चाहिए।

जो किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करता है, अर्थात

पुलिस अधिकारी को उन परिस्थितियों में कुछ संपत्ति का पता लगाना चाहिए जो उसके दिमाग में संदेह पैदा करती हैं कि कोई अपराध किया गया है। अनुभाग

102 , यह आयोजित किया गया था, आकर्षित नहीं किया जाएगा जहां संपत्ति का पता नहीं लगाया गया है या खोजा गया है जो एक अपराध के संदेह की ओर ले जाता है

प्रतिबद्ध किया गया। संपत्ति की खोज अपराध का पता लगाने से पहले होनी चाहिए। इस अनुपात का बाद में पी. के. परमार और अन्य बनाम में पालन किया गया। भारत संघ और एक अन्य जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय ने दोहराया था कि जब तक संपत्ति की खोज से अपराध होने का संदेह नहीं होता है, तब तक संहिता की धारा 102 को ऐसी संपत्तियों को जब्त करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने जांच की

प्रश्न; क्या बैंक खातों की खोज अपराध किए जाने के संदेह से पहले हुई थी और यह अभिनिर्धारित किया कि वहाँ

उपस्थित परिस्थितियों को देखते हुए, जिसके कारण केंद्रीय जांच ब्यूरो (जिसे इसके बाद 'सी. बी. आई.' कहा गया है) को इस संबंध में किए गए अपराध के बारे में संदेह था, वे अच्छे कारण थे।

खाते। खाते या तो गैर-मौजूद व्यक्तियों के नाम पर या फर्जी नामों में पाए गए थे और ऐसे सभी खाते कथित रूप से प्रमुख अभियुक्त द्वारा बनाए जा रहे थे। सी. बी. आई. के पास आपराधिक कानून को लागू करने के लिए पर्याप्त कारण था। इस मामले में, आरोप था

कि सब्सिडी भारत सरकार से अवैध रूप से और हकदारी के बिना प्राप्त की गई थी, और इस तरह प्राप्त राशि को बैंक खातों में जमा किया गया था, जिसमें प्रथम दृष्टया अभियुक्त को विभिन्न अपराधों से जोड़ा गया था, जिनके साथ उन पर आरोप लगाया गया था। इसलिए, बैंक खातों को जब्त करने के लिए कार्रवाई का कारण तब पैदा हुआ जब संबंधित संदेह पैदा किया गया था।

बैंक खातों के कई और नकली संचालन के लिए।

9. तपस डी. नियोगी (ऊपर) ने भारत ओवरसीज बैंक बनाम मद्रास उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के फैसले का भी उल्लेख किया था।

'मीनू प्रकाशन', जिसने धारा 451,452 का संदर्भ दिया था,

453 , 456 और संहिता की धारा 457 का यह अवलोकन करने के लिए कि ये प्रावधान अपराध के पीड़ितों को प्रतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करने और अपराध की बहाली के बारे में लाने का प्रयास करते हैं।

6 1992 क्रिएलजे 2499 (डेल)

7 1988 एम. एल. डब्ल्यू. (सी. आर. आई.) 106 नेवादा संपत्तियाँ पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

आपराधिक न्यायालय मुकदमे के समापन पर उपरोक्त प्रावधानों के तहत उपयुक्त आदेश पारित करेगा। निर्णय में धारा के तहत कुछ परिस्थितियों में अचल संपत्ति की बहाली का भी उल्लेख किया गया है। 456 कोड से।

सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार को स्पष्ट करते हुए बैंक खातों को बाहर करने के लिए शब्दों की संकीर्ण व्याख्या करने का कोई औचित्य या कारण नहीं था। यह व्यापक हो गया है और संहिता की धारा 102 और अंतर्निहित प्रावधानों की व्याख्या करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

प्रावधान में उत्कीर्ण वस्तु।

11. उपरोक्त चर्चा से यह पता चलता है कि तपस डी. नियोगी (उपरोक्त) में निर्णय इस मुद्दे पर नहीं गया और यह तय नहीं किया गया कि क्या अचल संपत्ति संहिता की धारा 102 के तहत 'कोई संपत्ति' अभिव्यक्ति के तहत आएगी। हम गुजरात राज्य और अन्य बनाम में निर्दिष्ट व्युत्क्रम परीक्षण को लागू करके ऐसा कहते हैं। उपयोगिता उपयोगकर्ता कल्याण संघ और अन्य, जिसमें कहा गया है कि न्यायालय को पहले कानून के कथित प्रस्ताव को सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए और फिर प्रस्ताव में एक शब्द डालना चाहिए जो इसके अर्थ को उलटता है ताकि यह जवाब मिल सके कि कोई निर्णय उस प्रस्ताव के लिए एक मिसाल है या नहीं। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो मामला उस प्रस्ताव के लिए एक उदाहरण नहीं है। अगर जवाब में है

नकारात्मक, मामला मूल प्रस्ताव के लिए और संभवतः अन्य प्रस्तावों के लिए भी एक मिसाल है। यह उन परीक्षणों में से एक है जिसे यह तय करने के लिए लागू किया जाता है कि किसी निर्णय के अनुपात निर्णय के रूप में किसे माना और माना जा सकता है। इस संबंध में यू. पी. राज्य विद्युत बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के निर्णयों का भी उल्लेख किया जा सकता है। पूरन चंद्र पांडे और

8 (2018) 6 एससीसी 21 [2019] 15 एस. सी. आर.

अन्य, आयकर आयुक्त बनाम। सन इंजीनियरिंग वर्क्स (पी) लिमिटेड और अन्य मामले जो मानते हैं कि निर्णय केवल एक प्राधिकरण है जो वास्तव में निर्णय लेता है। किसी निर्णय में जो सार है वह यह है कि अनुपात। उसमें पाए जाने वाले प्रत्येक अवलोकन और न ही उन टिप्पणियों से जो तार्किक रूप से प्रवाहित होता है, वह अनुपात निर्णय नहीं होता है। विचाराधीन निर्णय को करना होगा

समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और टिप्पणियों पर उन उदाहरणों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जो न्यायालय के समक्ष थे। यह निर्णय द्वारा निर्धारित सही सिद्धांतों का पता लगाने का तरीका है। अनुपात निर्णय निर्णय से विचाराधीन संदर्भ के विपरीत शब्दों या वाक्यों को चुनकर तय नहीं किया जा सकता है। इसलिए, हमारे लिए यह स्पष्ट है कि तपस डी. नियोगी (ऊपर) ने विचाराधीन मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया; क्या कोई अचल संपत्ति संहिता की धारा 102 में 'कोई संपत्ति' अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगी या नहीं। इसलिए हमें इस मुद्दे की जांच करनी होगी और इसका जवाब देना होगा।

12. आर. के. डालमिया आदि में यह न्यायालय v. दिल्ली प्रशासन ने धारा 405 और अन्य धाराओं में 'संपत्ति' शब्द की व्याख्या की थी। आई. पी. सी. ने यह मत व्यक्त किया कि 'संपत्ति' शब्द के अर्थ को चल संपत्ति तक सीमित करने का कोई उचित कारण नहीं था जब इस शब्द का उपयोग धारा 405 या आई. पी. सी. की अन्य धाराओं में किसी भी योग्यता के बिना किया गया था।

साथ ही, इस न्यायालय ने आगाह किया था कि क्या आई. पी. सी. की किसी विशेष धारा में परिभाषित अपराध किसी विशेष प्रकार की संपत्ति के संबंध में किया जा सकता है, यह 'संपत्ति' शब्द की व्याख्या पर नहीं बल्कि इस तथ्य पर निर्भर करेगा कि क्या उस विशेष प्रकार की संपत्ति उस धारा के अंतर्गत आने वाले कार्यों के अधीन हो सकती है। उस अर्थ में, यह कहा जा सकता है कि किसी विशेष धारा में 'संपत्ति' शब्द केवल उस प्रकार की संपत्ति को शामिल करता है जिसके संबंध में उस धारा में अनुध्यात अपराध किया जा सकता है। हम देखेंगे कि यह केंद्रीय और मूल सिद्धांत है जिसे लागू करना होगा जब हम संहिता की धारा 102 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति 'किसी भी संपत्ति' की व्याख्या करते हैं, जो जैसा कि ऊपर देखा गया है और नीचे स्पष्ट किया गया है, पुलिस को प्रदत्त एक शक्ति है।

अधिकारी और जांच के चरण और मुकदमे के दौरान अदालत में पेश किए जाने वाले साक्षय के संग्रह से संबंधित है।

13. इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश, 1944 (सं. 1944 का XXXVIII)

जो धारा के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रख्यापित किया गया था

9 9 (2007) 11 एससीसी 92

10 (1992) 4 एस. सी. सी. 363

11 ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1821 नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

72 अपराधों के माध्यम से प्राप्त संपत्ति के निपटान या छिपाने को रोकने के लिए भारत सरकार अधिनियम, 1935 की नौवीं अनुसूची

केंद्रीय, प्रांतीय या राज्य अधिनियम, आदि के तहत, और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया सम्मिलन। यह प्रक्रिया निर्धारित करता है जब केंद्र/राज्य सरकार के पास यह मानने का कारण होता है कि किसी व्यक्ति के पास है किसी भी अनुसूचित अपराध को किया, चाहे न्यायालय ने उक्त अपराध का संज्ञान लिया हो या नहीं, धन या अन्य संपत्ति की कुर्की द्वारा जिसे केंद्र/राज्य सरकार मानती है कि व्यक्ति ने प्राप्त किया है।

अनुसूचित अपराध के माध्यम से, और यदि ऐसा धन या संपत्ति किसी भी कारण से कुर्क नहीं की जा सकती है, तो उक्त व्यक्ति की लगभग मूल्य की कोई अन्य संपत्ति उपरोक्त धन या संपत्ति के बराबर हो सकती है। यह अधिनियम सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश XXVII के प्रावधानों के आवेदन को जिला न्यायाधीश के समक्ष आवेदन दायर करने के प्रावधान के साथ अनिवार्य करता है जो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एक विज्ञापन अंतरिम कुर्की आदेश पारित करने का हकदार है। जिसमें संपत्ति की कुर्की पर आपत्तियों की जांच और जांच शामिल है। जिला न्यायाधीश या तो अंतरिम कुर्की को पूर्ण बनाने या संपत्ति को जारी करके इसे बदलने का आदेश पारित कर सकता है या

उसका भाग या कुछ शर्तों की संतुष्टि पर आदेश वापस लेना। अध्यादेश में निहित अन्य धाराओं में दुर्भावनापूर्ण हस्तांतरणकर्ताओं की संपत्ति की कुर्की, कुर्की के आदेशों का निष्पादन, कुर्की के बदले में प्रतिभूति, कुर्की की अवधि, अपील, अनुसूचित अपराधों द्वारा प्राप्त संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए आपराधिक न्यायालय की शक्ति और कुर्की के आदेशों के निष्पादन का प्रावधान है। आपराधिक कार्यवाही की समाप्ति पर कुर्क की गई संपत्ति। धारा 14 अध्यादेश के तहत कुर्क की गई संपत्ति के संबंध में अन्य न्यायालयों में कानूनी कार्यवाही को प्रतिबंधित करती है। यह अध्यादेश एक स्थायी अध्यादेश है जिसे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लागू किया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 372 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी राष्ट्रपति के कानून अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अपनाया गया था, इस प्रकार, इसे भारत के क्षेत्र में प्रभावी बनाता है और इसलिए, यह जारी है।

14. इसी तरह, संहिता में धारा 145,146,165 के रूप में प्रावधान हैं जो विशेष रूप से अचल संपत्ति से संबंधित हैं।

संपत्तियाँ। अध्याय VIIA-'सहायता के लिए पारस्परिक व्यवस्थाएँ।

कुछ मामलों और संपत्ति की कुर्की और ज़ब्त करने की प्रक्रिया में 'विशेष रूप से उक्त अध्याय के उद्देश्य के लिए' संपत्ति 'अभिव्यक्ति के तहत अचल संपत्तियां शामिल हैं, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो।

आवश्यकताएँ हैं। इसी तरह, हमारे पास संबंधित और व्यवहार से संबंधित विशिष्ट प्रावधान हैं। मादक पदार्थ, मादक पदार्थ और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के तहत अचल संपत्ति के साथ।

15. अब हम संहिता के अध्याय XXXIV का उल्लेख करेंगे, जिसका शीर्षक 'संपत्ति का निपटान' है और इसमें धारा 451 से 459 शामिल हैं। हम संहिता की धारा 451,452,453,454,456 और 457 को पुन: प्रस्तुत करना चाहेंगे, जो निम्नानुसार हैं:

" 451. लंबित संपत्ति की अभिरक्षा और निपटान का आदेश कुछ मामलों में मुकदमा। जब किसी संपत्ति को किसी जांच या मुकदमे के दौरान किसी आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है, तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए उचित समझे।

जांच या मुकदमे के समापन तक, और, यदि संपत्ति त्वरित और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है, तो न्यायालय, ऐसे साक्षय को दर्ज करने के बाद जो वह आवश्यक समझता है, उसे बेचने या अन्यथा निपटाने का आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "संपत्ति"

इसमें शामिल हैं

(क) किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज जो पहले प्रस्तुत किया जाता है।

न्यायालय या जो उसकी अभिरक्षा में है,

(ख) ऐसी कोई संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध के लिए किया गया प्रतीत होता है।

452. मुकदमे के समापन पर संपत्ति के निपटान के लिए आदेश।

(1) जब किसी आपराधिक न्यायालय में कोई जांच या मुकदमा समाप्त हो जाता है, तो न्यायालय ऐसा आदेश दे सकता है जो वह निपटारे के लिए उचित समझे, विनाश, जब्ती या किसी भी व्यक्ति को सौंपने का दावा करके।

उसके समक्ष या उसकी अभिरक्षा में प्रस्तुत की गई किसी संपत्ति या दस्तावेज पर कब्जा करने या अन्यथा करने का हकदार है, या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है, या जो

किसी भी अपराध के लिए उपयोग किया जाता है।

ए. डी. ए. संपत्तियाँ पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

या पुनरीक्षण। (3) सत्र न्यायालय, स्वतः उप-धारा (1) के अधीन आदेश देने के बजाय, संपत्ति को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सौंपने का निर्देश दे सकता है, जो उसके बाद धारा 457,458 और 459 में उपबंधित तरीके से उससे व्यवहार करेगा।

(4) सिवाय इसके कि जहां संपत्ति पशु है या शीघ्र और प्राकृतिक क्षय के अधीन है, या जहां उप-धारा (2) के अनुसरण में कोई बंधपत्र निष्पादित किया गया है, उप-धारा (1) के तहत किया गया आदेश दो महीने के लिए या जब कोई अपील प्रस्तुत की जाती है, तब लागू नहीं किया जाएगा।

जब तक ऐसी अपील का निपटारा नहीं हो जाता।

(5) इस धारा में, "संपत्ति" शब्द में ऐसी संपत्ति के मामले में शामिल है जिसके संबंध में कोई अपराध हुआ प्रतीत होता है। प्रतिबद्ध, न केवल ऐसी संपत्ति जो मूल रूप से किसी भी पक्ष के कब्जे या नियंत्रण में रही है, बल्कि कोई भी संपत्ति भी

जिसमें या जिसके लिए उन्हें परिवर्तित या आदान-प्रदान किया गया हो सकता है, और इस तरह के रूपांतरण या विनिमय द्वारा प्राप्त कुछ भी, चाहे वह तुरंत हो या अन्यथा। 453.अभियुक्त पर पाए गए धन के निर्दोष खरीदार को भुगतान।

जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसमें चोरी या चोरी की संपत्ति प्राप्त करना शामिल है और यह साबित होता है कि किसी अन्य व्यक्ति ने उससे चोरी की संपत्ति उसके बिना ही खरीदी है। यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण होने के कारण कि वही चोरी हो गया था, और यह कि उसकी गिरफ्तारी पर कोई भी पैसा ले लिया गया था

दोषी व्यक्ति के कब्जे में, न्यायालय, ऐसे खरीदार के आवेदन पर और चोरी की संपत्ति को उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को वापस करने का आदेश दे सकता है।

कि ऐसे धन में से एक राशि जो ऐसे खरीदार द्वारा भुगतान की गई कीमत से अधिक न हो, उसे दी जाए।

454. धारा 452 या धारा के तहत आदेशों के खिलाफ अपील

453.

(3) उप-धारा (2) में निर्दिष्ट शक्तियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा उस मामले पर विचार करते समय जिसमें उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश दिया गया था।

XX

XX

XX

456. अचल संपत्ति के कब्जे को बहाल करने की शक्ति।

न्यायालय को कि इस तरह के बल या बल या धमकी के प्रदर्शन से किसी व्यक्ति को किसी अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, आदेश दे सकता है कि यदि आवश्यक हो तो बलपूर्वक बेदखल करने के बाद उस व्यक्ति को उसका अधिकार बहाल किया जाए।

अन्य व्यक्ति जिसके पास संपत्ति हो सकती है: बशर्ते कि ऐसा कोई आदेश न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि की तारीख के एक महीने से अधिक समय बाद नहीं किया जाएगा।

(2) जहां अपराध की सुनवाई करने वाले न्यायालय ने उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश नहीं दिया है, वहां अपील, पुष्टिकरण या पुनरीक्षण न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, तो अपील, संदर्भ या पुनरीक्षण का निपटान करते समय ऐसा आदेश दे सकता है। (3) जहां उप-धारा (1) के तहत कोई आदेश दिया गया है, वहां धारा 454 के प्रावधान उसके संबंध में लागू होंगे क्योंकि वे

धारा 453 के तहत किसी आदेश के संबंध में आवेदन करें।

नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

(4) इस धारा के तहत किया गया कोई भी आदेश ऐसी अचल संपत्ति के किसी भी अधिकार या हित पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा जो कोई भी व्यक्ति कर सकता है।

एक दीवानी मुकदमे में स्थापित करने में सक्षम हो।

457. संपत्ति की जब्ती पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया।

(1) जब भी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा संपत्ति की जब्ती की सूचना इस संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को दी जाती है, और ऐसी संपत्ति को जांच या मुकदमे के दौरान आपराधिक न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति के निपटान या उस संपत्ति को उसके कब्जे के हकदार व्यक्ति को देने के संबंध में ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे, या यदि

अभिरक्षा का सम्मान करते हुए ऐसे व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सकता है और

मजिस्ट्रेट इसे रोक सकता है और ऐसे मामले में, उन वस्तुओं को निर्दिष्ट करते हुए एक घोषणा जारी करेगा जिनमें ऐसी संपत्ति शामिल है, और किसी भी व्यक्ति से, जिसका दावा हो सकता है, उसके सामने पेश होने और छह महीने के भीतर अपना दावा स्थापित करने की आवश्यकता होगी। ऐसी घोषणा की तारीख से।

कुछ परिस्थितियों में प्रत्यक्ष निपटान भी। धारा 451 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि उक्त धारा के प्रयोजन के लिए, 'संपत्ति' में किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज शामिल है जो न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है या जो इसकी अभिरक्षा में है या कोई संपत्ति जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग अपराध के लिए किया गया प्रतीत होता है। किसी भी अपराध का करना। धारा 451 विचारण के दौरान या लंबित रहने पर लागू होती है,

या पूछताछ ('पूछताछ' अभिव्यक्ति को संहिता की धारा 2 (जी) में परिभाषित किया गया है)। ऐसे निर्णय हैं जो मानते हैं कि अभिव्यक्ति 'संपत्ति' के लिए

धारा 451 के उद्देश्य में अचल संपत्ति शामिल है। वास्तव में, न्यायिक निर्णयों की प्रधानता इस दृष्टिकोण को लेती है, हालांकि इस न्यायालय का कोई प्रत्यक्ष निर्णय नहीं है। धारा 452 के संबंध में भी यही स्थिति है, जिसमें उप-धारा (5) में कहा गया है कि 'संपत्ति' शब्द में ऐसी संपत्ति शामिल है, जिसके संबंध में अपराध [2019] 15 एस. सी. आर. प्रतीत होता है।

प्रतिबद्ध, न केवल ऐसी संपत्ति जो मूल रूप से किसी पक्ष के कब्जे या नियंत्रण में थी, बल्कि कोई भी संपत्ति जिसमें उसे परिवर्तित या आदान-प्रदान किया गया हो, और इस तरह के रूपांतरण या विनिमय द्वारा अर्जित कुछ भी, चाहे वह तुरंत हो या अन्यथा। धारा 452 में कहा गया है कि जब किसी आपराधिक न्यायालय में कोई जांच या मुकदमा समाप्त होता है, तो न्यायालय किसी भी संपत्ति या दस्तावेज के निपटारे के लिए, नष्ट करने, जब्त करने या किसी अन्य व्यक्ति को सौंपने के लिए एक आदेश दे सकता है, जो खुद को उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है या अन्यथा, उसके सामने या उसकी हिरासत में पेश किया गया है, या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया है। अपराध। संदर्भ व्यापक है, यद्यपि शब्द, धारा 452 में "ऐसा आदेश दे सकता है जो वह उचित समझे", न्यायालय को निर्दिष्ट तीन तरीकों में से किसी में भी संपत्ति का निपटान करने का विवेकाधिकार देता है, अर्थात्, विनाश, जब्ती या उसके कब्जे में होने के हकदार व्यक्ति को सुपुर्दगी या अन्यथा (एन. माधवन बनाम देखें। केरल राज्य 1 2)। हालांकि, धारा 452 के तहत एक आदेश स्वामित्व या स्वामित्व का निर्धारण करने वाला आदेश नहीं है, बल्कि कब्जे के अधिकार का है, और इसलिए जहां स्वामित्व के गंभीर दावे किए जाते हैं, तो यह सबसे अच्छा होगा कि आपराधिक अदालतें पक्षों को दीवानी अदालत के समक्ष अपना दावा स्थापित करने का निर्देश दें। हालाँकि, आपराधिक न्यायालय अंतरिम प्रकृति का उचित आदेश पारित कर सकता है जो उचित हो। हमारी चर्चा के लिए जो महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है वह यह है कि धारा 451 और 452 व्यापक और व्यापक रूप से विशिष्ट हैं।

अचल संपत्ति जब किसी व्यक्ति को आपराधिक बल प्रयोग या बल प्रदर्शन या आपराधिक धमकी के अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और न्यायालय को प्रतीत होता है कि इस तरह के बल या बल प्रदर्शन या धमकी से किसी व्यक्ति को संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है। यह आदेश हो सकता है

ऐसी अचल संपत्ति के अधिकार या हित के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया जिसे कोई भी व्यक्ति दीवानी मुकदमे में स्थापित करने में सक्षम हो सकता है। अनुभाग 457 यह तब लागू होता है जब किसी संपत्ति को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया गया हो और संहिता के प्रावधानों के तहत मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है और ऐसी संपत्ति को दंड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

जाँच या मुकदमा। अभिव्यक्ति 'आपराधिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई'

12 (1979) 4 एस. सी. सी. 1 नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

संहिता की धारा 457 में उपयोग किया जाना महत्वपूर्ण है। अतः यह प्रावधान लागू होता है।

संहिता की धारा 102 के तहत जब्त की गई संपत्ति, लेकिन मुकदमे या जांच के दौरान पेश नहीं की गई। आम बोलचाल में, 'उत्पादित' शब्द एक अभिव्यक्ति है जिसका उपयोग वास्तविक या भौतिक उत्पादन को दर्शाने के लिए किया जाता है जो चल संपत्ति पर लागू होता है। अचल संपत्ति को अदालत में 'पेश' नहीं किया जा सकता है।

17. हमने अध्याय XXXIV के तहत उक्त प्रावधानों का उल्लेख किया है-'संपत्ति का निपटान', क्योंकि यह महत्वपूर्ण होगा और अपीलार्थी द्वारा व्यक्त तर्क और चिंता को संबोधित करता है-नेवादा

प्रॉपर्टीज प्रा. लिमिटेड और कुछ राज्य सरकारें। ये

प्रावधान, विशेष रूप से न्यायालय को चल और अचल दोनों संपत्तियों से संबंधित आदेश पारित करने में सक्षम बनाते हैं। हमने धारा 451 का उल्लेख किया है, जो विशेष रूप से संहिता की धारा 102 के तहत किसी भी जब्ती आदेश का उल्लेख नहीं करता है, लेकिन स्पष्टीकरण में ऐसी संपत्ति शामिल है जिसके बारे में ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अपराध किया गया है या जिसका उपयोग किसी अपराध के लिए किया गया है। इसी तरह, धारा 452 उस संपत्ति को संदर्भित करती है जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है जो मूल रूप से किसी पक्ष के कब्जे या नियंत्रण में रहा है और ऐसी संपत्ति भी जिसके लिए उसे परिवर्तित या आदान-प्रदान किया गया हो सकता है। धारा 452 अपने आप में संहिता की धारा 102 का कोई संदर्भ नहीं देती है। यह संहिता की धारा 456 के लिए भी सच है जो अचल संपत्ति के कब्जे की बहाली से संबंधित है।

कुछ परिस्थितियों में। इसलिए, ये प्रावधान संहिता की धारा 102 की रूपरेखा और दायरे को सीधे परिभाषित नहीं करते हैं। दूसरी ओर, यह दिखाएगा कि धारा 102 प्राथमिक या मूल नहीं है।

प्रावधान जो संहिता की धारा 451,452 या 456 के प्रावधानों को लागू करेगा। इन धाराओं को लागू करने के लिए मानदंड वे हैं जो विशिष्ट प्रावधानों में उल्लिखित हैं। धारा 451 और 452 विशेष रूप से न्यायालय द्वारा अभिरक्षा और निपटान के आदेश के उद्देश्य से 'संपत्ति' अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है। धारा 456 अचल संपत्ति से संबंधित अपराधों की श्रेणी या प्रकार पर लागू होती है, भले ही अचल संपत्ति अदालत की हिरासत में हो या नहीं।

संलग्न किया गया। इन धाराओं के तहत आपराधिक न्यायालय की शक्ति, सिवाय इसके कि

संहिता की धारा 457, संहिता की धारा 102 के तहत पुलिस अधिकारी द्वारा जब्त की गई संपत्ति तक ही सीमित नहीं है। धारा 457, जैसा कि देखा गया है, लागू होती है।

उन संपत्तियों के लिए जिन्हें पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता के तहत जब्त कर लिया गया है लेकिन जांच या मुकदमे के दौरान पेश नहीं किया गया है।

9] 15 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18. आपराधिक न्यायालय की शक्ति को अभिनिर्धारित और स्पष्ट करने के बाद, हम यह अभिनिर्धारित करने के लिए अच्छा आधार और कारण पाते हैं कि संहिता की धारा 102 में दिखाई देने वाली 'कोई भी संपत्ति' अभिव्यक्ति में अचल संपत्ति शामिल नहीं होगी।

चोरी हो गई। अचल संपत्ति निश्चित रूप से चोरी नहीं की जा सकती है और इस हिस्से में नहीं आ सकती है। दूसरा भाग उस संपत्ति से संबंधित है जो एक पुलिस अधिकारी को उन परिस्थितियों में मिल सकती है जो संदेह पैदा करती हैं किसी भी अपराध का करना। हम पहले ही पी. के. परमार (ऊपर), सुश्री स्वर्ण सभरवाल (ऊपर) और जगदीश चंदर (ऊपर) के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख कर चुके हैं।

गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले से और एक ऐसी स्थिति से निपटा था जब खातों को फ्रीज करने का कार्य अपराध की अगली कड़ी थी क्योंकि अपराध का पहले पता चला था। गुजरात उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप नहीं करते हुए और डीफ्रीज़िंग का निर्देश देते हुए कुछ विपरीत दृष्टिकोण अपनाया, यह देखते हुए कि भले ही जाँच एजेंसी की शुरुआत में ज़ब्त करने की कार्रवाई नियमित न हो, लेकिन न्यायालय के संग्रह से अनजान नहीं हो सकता है। जाँच एजेंसी द्वारा पर्याप्त सामग्री जो संहिता की धारा 102 के तहत अपनी कार्रवाई को उचित ठहराती है। आगे जब जाँच की गई थी

एक भौतिक बिंदु पर प्रगति, पर बैंक खातों को डी-फ्रीज करना इस तरह के तर्कों का आधार जांच को पंगु बना देगा जो न्याय के हित में नहीं होगा। तीस्ता अतुल सीतलवाड़ (सुप्रा) में तथ्यात्मक मैट्रिक्स का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने कहा कि जांच अधिकारी के पास ऐसी सामग्री है जो उन परिस्थितियों की ओर इशारा करती है जिन्होंने किसी अपराध के होने का संदेह पैदा किया था, विशेष रूप से जिस अपराध की जांच की जा रही है, और इसलिए संहिता की धारा 102 के तहत शक्ति का प्रयोग कानून में वैध होगा क्योंकि इसका प्रयोग उसी प्रावधान की उप-धारा (2) और (3) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद किया गया था।

20. धारा 102 संपत्ति की जब्ती को अभिनिर्धारित करती है। अचल संपत्ति को, इसके सख्त अर्थों में, जब्त नहीं किया जा सकता है, हालांकि स्वामित्व के दस्तावेज, 13 13 (2018) 2 एस. सी. सी. 372 नेवाडा संपत्तियाँ पी. वी. टी.

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [संजीव खन्ना, जे.]

अचल संपत्ति आदि से संबंधित संपत्ति को जब्त किया जा सकता है, हिरासत में लिया जा सकता है और पेश किया जा सकता है। अचल संपत्ति को कुर्क किया जा सकता है और बंद भी किया जा सकता है।

सील कर दिया। यह तर्क दिया जा सकता है कि 'जब्त' शब्द में कुर्की और मुहर लगाने की ऐसी कार्रवाई शामिल होगी। इस अर्थ में और तरीके से अचल संपत्ति की जब्ती के लिए कानून में व्यक्ति को बेदखल करने की आवश्यकता होगी। अचल संपत्ति का कब्जा/कब्जा, जब तक कि कोई दावेदार न हो, जो दुर्लभ होगा। संहिता की धारा 102 की भाषा इस व्याख्या का समर्थन नहीं करती है कि पुलिस अधिकारी के पास किसी व्यक्ति को कब्जे से हटाने और अचल संपत्ति पर कब्जा करने की शक्ति है।

संपत्ति को जब्त करने के लिए। संहिता की धारा 102 के तहत इस स्पष्ट या निहित शक्ति को प्रदान करने वाले विधानमंडल की अनुपस्थिति में पुलिस अधिकारी, हम संकोच करेंगे और यह नहीं मानेंगे कि इस शक्ति का अनुमान लगाया जाना चाहिए और यह जब्ती करने की शक्ति में निहित है। व्याख्या के उद्देश्य के लिए धारा 102 का दायरा और उद्देश्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

संहिता, जो जांच में सहायता और सहायता करने के लिए है और पुलिस अधिकारी को शिकायत किए गए आरोप को साबित करने और आरोप पत्र में स्थापित करने के लिए सबूत एकत्र करने और इकट्ठा करने में सक्षम बनाने के लिए है। अनुभाग एक है पुलिस अधिकारी द्वारा की गई जाँच से संबंधित प्रावधानों का हिस्सा। आरोप पत्र दाखिल किए जाने के बाद, अभियोजन पक्ष आगे बढ़ता है और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सबूत पेश करता है। धारा 102 अपने आप में सक्षम करने वाली नहीं है।

प्रावधान जिसके द्वारा पुलिस अधिकारी न्याय करने के लिए संपत्ति को जब्त करने और संपत्ति को उस व्यक्ति को सौंपने के लिए कार्य करता है जिसे पुलिस अधिकारी सही और सच्चा मालिक समझता है। यह धारा 102 के पीछे के उद्देश्य, धारा में शब्दों के उपयोग और संहिता की धारा 451 से 459 के माध्यम से आपराधिक न्यायालय को प्रदत्त शक्ति के दायरे और दायरे से स्पष्ट है। अभिव्यक्ति 'परिस्थितियाँ जो संदेह पैदा करती हैं

धारा 102 में 'किसी भी अपराध के करने' का उल्लेख किसी पुलिस अधिकारी द्वारा यह पता लगाने के लिए दृढ़ राय या निर्णय/निष्कर्ष का उल्लेख नहीं करता है कि क्या

या 'किसी भी संपत्ति' को जब्त करने की आवश्यकता नहीं है। 'संदेह' शब्द एक है 'उचित विश्वास' या 'संतुष्टि' की तुलना में कमजोर और व्यापक अभिव्यक्ति। पुलिस अधिकारी एक अन्वेषक होता है न कि एक न्यायनिर्णायक या निर्णय निर्माता। यही कारण है कि अनुसूचित अपराधों के मामलों में धन और अचल संपत्तियों की कुर्की से निपटने के लिए अध्यादेश लागू किया गया था। यदि और यदि हम पुलिस अधिकारी को किसी भी अपराध के केवल 'संदेह' पर अचल संपत्ति को 'जब्त' करने की अनुमति देते हैं।

'अपराध', इसका अर्थ और तात्पर्य होगा एक कठोर और चरम शक्ति देना केवल एक अनुमान और अनुमान पर पुलिस अधिकारी को बेदखल करना आदि, [2019] 15 एस. सी. आर.

अर्थात्, संदेह पर, जिसका अब तक प्रयोग नहीं किया गया है। हमें शायद ही ऐसा कोई मामला मिला हो जिसमें अचल संपत्ति जब्त की गई हो। एक कुर्की आदेश जिसे पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 102 के तहत जब्ती आदेश के रूप में माना गया था। इसका कारण स्पष्ट है। विवाद

अचल संपत्ति के स्वामित्व, अधिकार आदि से संबंधित दीवानी विवाद हैं जिनका फैसला दीवानी अदालतों में किया जाना है। हमें करना चाहिए।

दूसरे पक्ष पर दबाव बनाने के लिए दीवानी विवादों को आपराधिक मामलों में बदलने के किसी भी प्रयास को हतोत्साहित करना और रोकना (बिनोद कुमार और अन्य देखें)

वी. बिहार राज्य और अन्य 1 4)। अतः यह मान लेना उचित नहीं होगा कि

आपराधिक मुकदमे की प्रकृति, किसी अचल संपत्ति की ऐसी जब्ती पुलिस अधिकारी द्वारा कुर्की और बेदखल करने के रूप में साक्षय/सामग्री एकत्र करने के लिए जांच की सुविधा नहीं होगी

पूछताछ और मुकदमे के दौरान पेश किया गया। जहाँ तक अचल संपत्ति के कब्जे का संबंध है, धारा 145 के रूप में विशिष्ट प्रावधान

और संहिता की धारा 146 को कानून के अनुसार लागू किया जा सकता है।

संहिता की धारा 102 एक सामान्य प्रावधान नहीं है जो पुलिस अधिकारी को मुकदमे के दौरान आपराधिक अदालत में पेश करने में सक्षम होने के लिए अचल संपत्ति को जब्त करने में सक्षम और अधिकृत करता है। हालाँकि, यह पुलिस अधिकारी को अचल संपत्ति से संबंधित दस्तावेजों/स्वामित्व के कागजात को जब्त करने से नहीं रोकेगा या प्रतिबंधित नहीं करेगा, क्योंकि यह अचल संपत्ति की जब्ती से अलग और अलग है। भौतिक और कानूनी कब्जे और संपत्ति के स्वामित्व से संबंधित विवादों और मामलों पर दीवानी न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।

21. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, संदर्भ का उत्तर यह मानते हुए दिया जाता है कि धारा 102 के तहत एक पुलिस अधिकारी की शक्ति

किसी भी संपत्ति को जब्त करने के लिए संहिता, जो परिस्थितियों में पाई जा सकती है

जो किसी अपराध के होने का संदेह पैदा करता है, उसमें किसी अचल संपत्ति को कुर्क करने, जब्त करने और सील करने की शक्ति शामिल नहीं होगी।

22. रजिस्ट्री को निपटान के लिए व्यक्तिगत अपीलों को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है

उपयुक्त पीठ के समक्ष।

14 (2014) 10 एस. सी. सी. 663 नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य

दीपाक गुप्ता, जे।

1. मैंने अपने भाई न्यायमूर्ति संजीव खन्ना द्वारा दिए गए फैसले को पढ़ा है। मैं उक्त निर्णय के निष्कर्ष से सहमत हूँ। हालाँकि, इसमें शामिल मुद्दे की प्रकृति को देखते हुए, मैं अपने स्वयं के कुछ अतिरिक्त कारण देना चाहता हूँ।

2. चूंकि भाई खन्ना ने अपने फैसले में विस्तार से बताया है

यह मानने के कारण कि धारा 102 के संदर्भ में 'कोई भी संपत्ति' शब्द

इसका मतलब केवल चल संपत्ति होगी, मैं इसे संक्षिप्तता के लिए नहीं दोहरा रहा हूं।

3. मुख्य मुद्दा यह है कि आपराधिक संहिता की धारा 102 में आने वाले 'संपत्ति' शब्द का क्या अर्थ है।

प्रक्रिया जो इस प्रकार है:

" पुलिस अधिकारी की कुछ संपत्ति को जब्त करने की शक्ति। - (1) कोई भी पुलिस

अधिकारी किसी भी संपत्ति को जब्त कर सकता है जिस पर चोरी होने का आरोप या संदेह हो सकता है, या जो परिस्थितियों में पाई जा सकती है।

जो किसी भी अपराध के होने का संदेह पैदा करता है। (2) ऐसा पुलिस अधिकारी, यदि किसी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के अधीनस्थ है, तो तुरंत उस अधिकारी को जब्ती की सूचना देगा।

(3) उप-धारा (1) के तहत कार्य करने वाला प्रत्येक पुलिस अधिकारी तुरंत कार्रवाई करेगा।

अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को जब्ती की रिपोर्ट करें और कहाँ

जब्त की गई संपत्ति ऐसी है कि यह आसानी से नहीं हो सकती है।

बंधपत्र निष्पादित करने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी अभिरक्षा दें। न्यायालय के समक्ष संपत्ति को कब और कब प्रस्तुत करने का वचन

न्यायालय के आगे के आदेशों की आवश्यकता है और उन्हें प्रभावी बनाने के लिए

उसी का निपटान:

बशर्ते कि जहां उप-धारा (1) के तहत जब्त की गई संपत्ति

त्वरित और प्राकृतिक क्षय के अधीन है और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पाँच सौ रुपये से कम है, तो यह [2019] 15 एस. सी. आर.

अधीक्षक के आदेश पर नीलामी द्वारा तुरंत बेचा जाए। पुलिस की धारा और धारा 457 और 458 के प्रावधान, जहां तक व्यावहारिक हो सके, ऐसे लोगों की शुद्ध आय पर लागू होंगे।

बिक्री "।

धारा 102 की उप-धारा (1) एक पुलिस अधिकारी को किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है, जिस पर चोरी या चोरी होने का आरोप या संदेह हो सकता है।

जो ऐसी परिस्थितियों में पाया जा सकता है जो किसी भी अपराध के होने का संदेह पैदा करती हैं। अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि 'कोई भी संपत्ति' शब्द बहुत व्यापक आयाम का है और इसमें चल और अचल संपत्तियां शामिल होंगी। इस रुख को महाराष्ट्र राज्य का भी समर्थन प्राप्त है। दूसरी ओर, उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि जिस संदर्भ में धारा में 'कोई संपत्ति' शब्द का उपयोग किया गया है, वह

इसे चल संपत्ति तक सीमित होना चाहिए और इसे अचल संपत्ति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।

संपत्ति।

4. पहली बार में, अपीलार्थी की ओर से तर्क आकर्षक लगते हैं क्योंकि आम तौर पर 'कोई भी संपत्ति' शब्दों का अर्थ होता है।

किसी भी प्रकार या विवरण की संपत्ति। हालाँकि, यह सांविधिक व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जब किसी क़ानून के शब्दों का अर्थ लगाया जाता है, तो उन्हें इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे धारा में फिट हों और उस उद्देश्य के संदर्भ में जो कानून के उस विशेष प्रावधान द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए।

5. धारा 102 की उप-धारा (1) एक पुलिस अधिकारी को किसी भी संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है, जिसके बारे में आरोप या संदेह किया जा सकता है।

चोरी हो गई। चोरी केवल चल संपत्ति की हो सकती है न कि अचल संपत्ति। मेरे विचार में, 'जब्त' शब्द का उपयोग संपत्ति की वास्तविक भौतिक अभिरक्षा लेने के अर्थ में किया गया है। धारा 102 की उप-धारा 3 में यह प्रावधान है कि जहां आसानी से परिवहन करना मुश्किल है

न्यायालय की संपत्ति या संपत्ति की अभिरक्षा के लिए उचित आवास प्राप्त करने में कठिनाई है, तो संपत्ति किसी भी व्यक्ति को उसके बांड निष्पादित करने पर दी जा सकती है। यह स्वयं इंगित करता है

संपत्ति अदालत में पेश करने में सक्षम होनी चाहिए और

किसी आवास के अंदर रखे जाने में सक्षम। यह स्पष्ट रूप से अचल संपत्ति के साथ नहीं किया जा सकता है।

6. धारा 102 एक सदी से भी अधिक समय से कानून की पुस्तक में है।

धारा 102 आपराधिक नेवाडा संपत्ति पी. वी. टी. संहिता की धारा 550 से मेल खाती है।

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.]

प्रक्रिया, 1898। एक शताब्दी से अधिक समय से अदालतों ने 'कोई भी संपत्ति' शब्दों को चल संपत्ति के अर्थ में पढ़ा है। इसके विपरीत हमारे ध्यान में लाया गया था। रिलायंस को केवल उस पर रखा गया है

महाराष्ट्र बनाम राज्य में इस न्यायालय का निर्णय। तपस डी. नियोग्या। उस मामले में सवाल पूरी तरह से अलग था और इस अदालत ने केवल फैसला किया

कि किसी अभियुक्त का बैंक खाता धारा 102 के अर्थ के भीतर संपत्ति थी। न्यायालय चल या अचल के प्रश्न में नहीं गया।

अचल संपत्ति और इसलिए, यह निर्णय लागू नहीं होगा। 7. मैं यह भी बताना चाहूंगा कि दंड प्रक्रिया संहिता में विधानमंडल ने विभिन्न प्रावधानों का विशेष रूप से उपयोग किया है

शब्द 'चल' और 'अचल' संपत्ति। उनमें से कुछ मेरे विद्वान भाई द्वारा निपटाए गए हैं। इस संबंध में Cr.P.C की धारा 83 का संदर्भ दिया जा सकता है जो संपत्ति की जब्ती से संबंधित है।

एक घोषित भगोड़े का। धारा 83 की उप-धारा 1 इस प्रकार है:

" (1) धारा 82 के तहत एक घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, जारी किए जाने के बाद किसी भी समय

घोषणा, घोषित व्यक्ति की किसी भी चल या अचल संपत्ति या दोनों को कुर्क करने का आदेश देती है: ..... "

विधायिका अपने विवेक में इन शब्दों का उपयोग करती है "किसी भी संपत्ति, चल या अचल या दोनों की कुर्की का आदेश दें"। इस में है

धारा 102 में प्रयुक्त 'किसी भी संपत्ति' शब्दों का विरोधाभास।

8. अध्याय VIIA को Cr.P.C में पेश किया गया था। 1993 के अधिनियम 40 के अनुसार

डब्ल्यू. ई. एफ. 20 जुलाई 1994 यह अध्याय पारस्परिक व्यवस्थाओं से संबंधित है।

कुछ मामलों में सहायता और संपत्ति की कुर्की और ज़ब्त करने की प्रक्रिया के लिए। धारा 105 ए (डी) में संपत्ति को इस प्रकार परिभाषित किया गया है - निम्नलिखित है:

" 'सम्पत्ति' का अर्थ है प्रत्येक विवरण की सम्पत्ति और परिसंपत्तियाँ।

चाहे भौतिक हो या अभौतिक, चल या अचल, मूर्त या अमूर्त और अधिकार का प्रमाण देने वाले कार्य और उपकरण, या

ऐसी संपत्ति या परिसंपत्तियों में प्राप्त या उपयोग किया गया ब्याज

1 ए. आई. आर. 1960 ए. आई. आई. 405 2 डब्ल्यू. पी. (सी) 2012 का सं. 12275, निर्णय दिनांक 26.07.2012 (केर उच्च न्यायालय) 3 2016 (3) पी. एल. जे. आर. 464

4 (1999) 7 एससीसी 685 [2019] 15 एस. सी. आर.

अपराध करना और इसके माध्यम से प्राप्त संपत्ति शामिल है

अपराध की आय "।

इसमें सभी प्रकार की चल और अचल संपत्ति शामिल होगी।

विधानमंडल ने यह स्पष्ट कर दिया कि सभी प्रकार की संपत्ति को कुर्क और जब्त किया जा सकता है।

धारा 105 सी (1) इस प्रकार है:

" S.105C (1) जहां भारत में किसी न्यायालय के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी संपत्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे व्यक्ति द्वारा अपराध करने से प्राप्त या प्राप्त की गई है, तो वह ऐसी संपत्ति को कुर्क करने या जब्त करने का आदेश दे सकता है, जो वह धारा के प्रावधानों के तहत उचित समझे।

105 डी से 105 जे (दोनों समावेशी) "।

इन सभी प्रावधानों को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट होता है कि जब कोई अदालत

भारत में यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध करने से प्राप्त की गई है, न्यायालय कुर्की या ज़ब्त करने का आदेश दे सकता है।

ऐसी संपत्ति।

9. यह न्यायालय संपत्ति की कुर्की और ज़ब्त के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, बल्कि इसका केवल अर्थ है -

शब्द 'संपत्ति'। इस प्रकार, धारा 105 सी अदालत को किसी भी संपत्ति को जब्त करने का आदेश देने का अधिकार देती है जो उसे लगता है कि अपराध करने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त या प्राप्त की गई है।

10. यदि अपीलार्थी और महाराष्ट्र राज्य के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है तो विधायिका को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं थी

अध्याय VIIA। यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि कुर्की और ज़ब्त करने की शक्ति अदालतों को दी गई है न कि पुलिस अधिकारी को। जैसा कि मेरे विद्वान भाई के फैसले में बताया गया है, अगर एक पुलिस अधिकारी है अचल संपत्ति को जब्त करने की शक्ति दिए जाने पर यह पूरी तरह से अराजक स्थिति का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किराए के परिसर पर मकान मालिक और किरायेदार के बीच शारीरिक लड़ाई होती है और यदि अपीलार्थी के बयान को स्वीकार किया जाना है, तो पुलिस अधिकारी का अधिकार होगा -

किरायेदार की संपत्ति को जब्त कर लें। इससे किराया कानूनों का मजाक उड़ाया जाएगा। एक और उदाहरण देने के लिए, यदि कोई व्यक्ति वसीयत बनाता है और इस तरह नेवाडा प्रॉपर्टीज पी. वी. टी. का दावा करता है।

लिमिटेड। इसके निर्देशक वी के माध्यम से। महाराष्ट्र राज्य [दीपाक गुप्ता, जे.]

जाली वसीयत के आधार पर क्या पुलिस अधिकारी को चल और अचल दोनों तरह की पूरी संपत्ति को जब्त करने की शक्ति दी जा सकती है?

जिसका उल्लेख वसीयत में किया जा सकता है? जवाब नकारात्मक होना चाहिए। अन्यथा यह एक बेतुकी स्थिति की ओर ले जाएगा जिसकी परिकल्पना विधानमंडल द्वारा कभी नहीं की जा सकती थी। धारा 102 में जब्ती की शक्ति चल संपत्ति तक सीमित होनी चाहिए।

11. जहाँ तक आई. डी. 1 की धारा 452 में संपत्ति के अर्थ का संबंध है, वह प्रश्न वृहद न्यायपीठ को निर्दिष्ट नहीं है और

इसलिए, मैं इस बारे में कुछ भी कहने से बचूंगा।

12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं संदर्भ का उत्तर धारण करके दूंगा।

कि धारा 102 में 'कोई भी संपत्ति' वाक्यांश केवल चल संपत्ति को शामिल करेगा न कि अचल संपत्ति को।

संदर्भ

ने जवाब दिया।

निधि जैन